कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(कॉपरेटिव) की बैठक सं0 7/2001 दिनांक 2-3-2001 प्रात: 10·30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण -

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

1- श्री आर·एस· गठाला, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।

2- श्री ए·के· गुप्ता, निदेशक(आयोजना) जविप्रा, जयपुर ।

3- श्री पी·आर· शर्मा, निदेशक(वित्त) जविप्रा, जयपुर ।

4- श्री आर· दयाल, निदेशक(अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।

5- श्री ए·एन· भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(कॉपरेटिव) जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे -

1- श्री अनिल गुप्ता, उपायुक्त, जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर ।

2- श्री एस·आर· पिलानिया, प्राधिकृत अधिकारी, जोन सी-2, जविप्रा, जयपुर।

3- श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(कॉपरेटिव) जविप्रा, जयपुर ।

4- श्री गिरिश शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन सी-2, जविप्रा, जयपुर ।

5- श्री मुकेश मित्तल, सहायक नगर नियोजक(कॉपरेटिव) जविप्रा, जयपुर ।

---

(1) एजेण्डा आईट्मस -

1:1- एजेण्डा सं0 7/2001- 1 :- हथरोई गढ़ी गृ·नि·स· समिति की योजना दादू कालोनी के अनुमोदन के संबंध में :-

वरिष्ठ नगर नियोजक(कॉपरेटिव) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं जोन सी-2 द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया गया और वाद विचार-विमर्श निम्नांकित शर्तों के साथ योजना का अनुमोदन किया गया -

1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार रेलवे लाइन के केन्द्र बिन्दु से 50 फिट की दूरी रेलवे सीमा तथा इसके पश्चात् सड़क की चौड़ाई 200 फिट में आने वाले भूखण्डों को अस्वीकृत किया गया ।

2- भूखण्ड सं0 33, 16, 18, 19, 20 से 24 के ऊपर 11 के·वी· की हाई टेन्शन लाईन गुजरती है इसलिए इन भूखण्डों ~~की स्वीकृति~~ को ~~स्थगित~~ अस्वीकृत किया गया ।

3- भूखण्ड सं0 34 को अनुमोदित नहीं किया गया व फैसिलिटी रोड लिंक के रूप में मार्क ~~रोड लिंक~~ किया गया क्योंकि सोसायटी द्वारा

237

प्रस्तुत प्लान व मौके पर ओपन फैसिलिटी के रूप में उपलब्ध है ।

4- भूखण्ड सं0 33 का पट्टा मौके से नाप लेकर दिया जाये ।

5- भूखण्ड सं0 33 बी के सामने 30 फिट की रोड के अलायन्मेन्ट को सीधी करते हुए शेष भाग का पट्टा दिया जाये ।

6- समिति की योजना 686·00 वर्ग गज अधिक भूमि पर प्रस्तावित है परन्तु प्रस्तावित योजना का ~~काफी~~ इससे अधिक भाग 200 फिट चौडी रोड में ~~चला जाता~~ काट लिया गया है अत: साधारण दर पर नियमन किया जाये ।

7- योजना का आवासीय प्रतिशत 63·44% आता है । अत: राजकीय आदेश क्रमांक: प-5(3)नविवि/3/99 दिनांक 10-7-99 के अनुसरण में शिथिलता देते हुए अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया ।

1·2- एजेण्डा सं0 7/2001- 2 :- राजस्थान सचिवालय मिनिस्टीरियल कर्मचारी हा·सोसायटी की योजना सचिवालय कॉलोनी में खातेदार से क्रय की गई भूमि पर भूखण्ड अनुमोदित करने बाबत :-

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके की रिपोर्ट के आधार पर भूखण्ड सं0 43 ए क्षेत्रफल 285·83 वर्ग गज अनुमोदित किया गया ।

1·3- एजेण्डा सं0 7/2001- 3 :- गुलाब बाडी भवन निर्माण स·स· की योजना गुरू जम्भेश्वर नगर-ए के भूखण्ड सं0 304 के पुन: अनुमोदन बाबत :-

उपायुक्त,जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श कर रोड़ को यथावत रखने का निर्णय लिया गया ।

1·4- एजेण्डा सं0 7/2001- 4 :- सुभाष सिन्धी गृ·नि·स· समिति की योजना नं0 8, नेताजी सुभाष नगर-II के भूखण्ड सं0 ए-10 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने बाबत :-

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया गया और बाद विचार-विमर्श उपायुक्त(सहकारिता) जविप्रा के पत्र क्रमांक: जविप्रा/सह·शा·/85/5440 दिनांक 25-7-85 के क्रम में भूखण्ड सं0 10 ए को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किया गया ।

1·5- एजेण्डा सं0 7/2001- 5 :- गुलाब बाडी गृ·नि·स·स· की योजना हनुमान कॉलोनी बाबत :-

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये -

1- भूखण्ड सं0 40, 40/1, 41, 41/1, 41/2 अनुमोदित किये गये ।

2- भूखण्ड सं0 40/ए/1 एवं 41/3 में 30 मिटर रोड अंकित की जाये ।

....

228

3- भूखण्ड़ सं0 19, 38, व 39 के बारे में यह पता किया जाये कि ~~क्या~~ ये भूखण्ड़ पूर्व में फैसिलिटी से मुक्त क्या हुए है। यदि स्कीम के बाहर मानकर रिलीज किए गए तो अब समिति को पट्टा कैसे जारी किया।

1·6- एजेण्ड़ा सं0 7/2001- 6 :- पथिक भवन निर्माण सहकारी समिति की योजना भृगु नगर में भूखण्ड़ सं0 29 के स्थान पर भूखण्ड़ सं0 10, 25 व 9 अंकित करने के संबंध में :-

वरिष्ठ नगर नियोजक (कॉपरेटिव) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श कर मौके की स्थिति के आधार पर स्वीकृत योजना मानचित्र में भूखण्ड सं0 29 के स्थान पर भूखण्ड़ सं0 10, 25 व 9 अंकित करने की स्वीकृति दी गयी । जिनमे प्रत्येक भूखण्ड़ की चौड़ाई 33 फिट और गहराई 117 फिट है ।

1·7- एजेण्ड़ा सं0 7/2001- 7 :- प्रताप नगर ह·को·सो·लि· की योजना 8 बी, 8 सी के भूखण्ड़ सं0 31, 31 ए, 32, 39, 40 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने बाबत :-

उपायुक्त जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा पर विचार-विमर्श किया गया एवं वाद विचार-विमर्श उपरोक्त भूखण्ड़ों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त नहीं करने का निर्णय लिया गया । सुविधा क्षेत्र यथावत रहेगा।

1·8- एजेण्ड़ा सं0 7/2001- 8 :- श्री शिवप्रकाश, भूखण्ड सं0 156 ए, महादेव नगर के आवंटन के संबंध में तथा अनुमोदित योजना मानचित्र में भूखण्ड़ सं0 155-ए को 156-ए किये जाने के संबंध में :-

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा एवं मौके की स्थिति के आधार पर भूखण्ड़ सं0 155 ए के स्थान पर 156 ए मानचित्र में अंकित करने की स्वीकृति दी गयी ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति-II (कॉपरेटिव)
जविप्रा, जयपुर ।

क्रमांक: जविप्रा/वननि/कॉपरेटिव/2001/डी-59
दिनांक : 14-3-2001

....4

प्रतिलिपि:-

1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।

2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।

3- निदेशक (आयोजना)/(विधि)/(वित्त)/(अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।

4- अति० आयुक्त (भू-रूपान्तरण) जविप्रा, जयपुर ।

5- उपायुक्त/प्राधिकृत अधिकारी/सहायक नगर नियोजक, जोन बी-2 एवं सी-2 , जविप्रा, जयपुर ।

उप नगर नियोजक
बीपीसी-।। (कार्पोरेटिव)